	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 78[illegible]/2024 बनाम ग्राम पंचायत चाड़वास बनाम जेठाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित। प्रकरण में मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 3 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बार–बार आवाजे लगवाई जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण की दृष्टि से अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 37/2023 ग्राम पंचायत चाड़वास बनाम जेठाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2024 को रेस्टोर किया जाता है एवं प्रकरण पुनः नये नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर, पाली	